फर्द अहकाम

नियम 26

अदालत......उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा ...... मुकाम....... भादरा......

प्रताप बनाम ताराचन्द आदि

मुकदमा अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट न० 35/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
..11.2021	आज यह प्रार्थना-पत्र जरिये वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलबी जरिये सम्मन को जाकर पत्रावली दिनांक 10.02.2022 को पेश है।	
10/2/22	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ....तलबी दिनांक 3/3/22 को पेश हो।	
3/3/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं० 1 की तामील प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं० 1 की ओर से एड. राजेन्द्र गोयल ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी सं० 1 दिनांक 05/4/22 को पेश हो। [illegible] तहसीलदार भादरा को पत्र लिखा जाकर [illegible] हेतु नवीन व मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली वास्ते Report TDR व जवाब अप्रार्थी सं० 1 दिनांक 05/4/22 को पेश हो।	
5/04/22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] एड. श्री अरविश खान ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली रहा। पत्रावली बाबत मौका रिपोर्ट हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी शेष व तहसीलदार रिपोर्ट हेतु दिनांक 20.04.22 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:37:32 IST
Reason: Self Attested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर...
	25/ वर्तमान में प्रारम्भिक स्टेज पर है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 25/1 रिस्टोर कर कायम नम्बर पर दर्ज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाकर पत्रावली रिस्टोर की जाकर पुनः नम्बर पर दर्ज की गई। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 16/7/25 को पेश होवे	
16/7/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ...[illegible]... दिनांक 5/9/25 को पेश हो।	
अप्रार्थी क्र. 1 ताराचंद की तरफ से हाजिर [signature] 5/12/25	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ...[illegible]... दिनांक 5/12/25 को पेश हो।	
	वकील उपस्थित अनुपस्थित / प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित / बार-बार आवाज लगाई गई लेकिन प्रार्थी असालतन/वकालतन हाजिर अदालत नहीं आने से पत्रावली को [illegible] अदम पैरवी, अदम पैरवी [illegible] किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:37:32 IST
Reason: SelfAttested

(Bhagirath Ram)
...अधिकारी (राज...